Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.
Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features

ई–2013 में की गई कार्यवाही का विवरण :–

[illegible]	जीकृत मामले	जुर्माना रू. में
137	2026	1286662
138	15016	10855538
139	00	00
141	387	217929
142	00	00
143	15	00
144	1411	396093
145	585	84570
146	05	3180
147	318	66650
153	02	00
154	20	54700
155	701	68160
156	244	18200
157	00	00
159	426	48200
160	10	8000
161	00	00
162	835	53485
163	00	00
164	00	00
165	00	00
166	00	00
167	30	1700
172	00	00
173	00	00
174	14	57400
175	00	00
176	00	00
180–जी	00	00
कुल योग	**22045**	**13220467**

Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.
Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features

...म के अंतर्गत् माह मई–2013 में पंजीकृत मामले

माह	हल किये गये मामले	बरामद संपत्ति की कीमत	गिरफ्तार		
			बाहरी व्यक्ति	रेलकर्मी	आरपीएफ
मई–2013	15	13655	27	00	00

रेल संपत्ति की चोरी के मामलों का पंजीकरण विवरण माह मई2013

माह	मामले		संपत्ति की कीमत रू. में		गिरफ्तार		
	दर्ज	हल	चोरी गई	बरामद	बाहरी व्यक्ति	रेलकर्मी	आरपीएफ
मई2013	16	15	24805	13665	27	00	00

बुकशुदा संपत्ति की चोरी के मामलों का पंजीकरण विवरण माह मई–2013

माह	मामले		संपत्ति की कीमत रू. में		गिरफ्तार		
	दर्ज	हल	चोरी गई	बरामद	बाहरी व्यक्ति	रेलकर्मी	आरपीएफ
मई–2013	02	01	5650	5650	01	00	00

रेल सामग्री की चोरी के मामलों का पंजीकरण विवरण माह मई–2013

माह	मामले		संपत्ति की कीमत रू. में		गिरफ्तार		
	दर्ज	हल	चोरी गई	बरामद	बाहरी व्यक्ति	रेलकर्मी	आरपीएफ
मई–2013	14	14	19155	8005	26	00	00

PDF Complete
Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.
Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features

रा माह मई–2013के दौरान
ये अच्छे कार्यो का ब्यौरा

01.इस माह रेल सुरक्षा बल द्वारा रेल अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत चलाये गये अभियानों में 22,045 व्यक्तियों को अभियोजित कर उनसे बतौर जुर्माना 1,32,20,467/–रू. की राशि वसूली गई है।

02.दिनांक 03.05.2013 को जुझारपुर यार्ड, किमी 749/24 पर गाड़ी संख्या 12722 दक्षिण एक्सप्रेस के स्लीपर कोच में यात्रा कर रहे एक यात्री आर.सथास्वामी पुत्र पी.रामास्वामी उम्र 44 साल नि–ग्राम कन्दस्वामीपुराम थाना बिलाथीपुराम तमिलनाडू की पत्नी के गले से सोने की चैन अज्ञात व्यक्ति द्वारा चलती गाड़ी में छीन कर भाग जाने की घटना की सूचना पर श्री अनिल कुमार राय, सउनि रेसुबल थाना इटारसी, श्री अशोक सिंह भदौरिया प्रधान आरक्षक रेसुबल थाना इटारसी स्टे., श्री लीलाधर नायक आरक्षक रेसुबल थाना रेसुबल इटारसी यार्ड एवं जीआरपी इटारसी द्वारा एक आरोपी को पकड़ कर मय माल मुल्जिम जीआरपी/इटारसी को कार्यवाही हेतु सुपुर्द किया गया जहां पर यात्री की शिकायत पर जीआरपी इटारसी द्वारा अपराध क्रमांक 106/2013 धारा 392 आईपीसी दिनांक 03.05.2013 को कायम कर विवेचना में लिया गया।

03.दिनांक 03.05.2013 को रेसुबल थाना इटारसी स्टेशन के सउनि अनिल राय, प्रधान आरक्षक अशोक सिंह भदौरिया, आरक्षक लीलाधर नायक, रेसुबल थाना इटारसी यार्ड एवं जीआरपी इटारसी के साथ संयुक्त रूप से कार्यवाही करने के दौरान इटारसी स्टेशन प्लेटफार्म क्रमाक 01 पर स्थित मुसाफिर खाना में एक संदिग्ध व्यक्ति नाम नारायण पुत्र स्व. गोरेलाल विश्वकर्मा उम्र 55 साल नि–ग्राम बरमेता थाना गोहलपुर से पूछताछ करते हुये बैग को चैक किया गया तो उसमें 04 जोड़ इस्तेमाली कपड़े, एक सेमसंग गैलेक्सी टैबलेट कीमत करीबन 15000 रू, एक जोड़ सोने जैसी पीली धातू कान की बाली कीमत 3000 रू, बरामद हुआ एवं उक्त व्यक्ति की शिनाख्त पर एक लैपटाप सहित कुल कीमत 48000 रू बरामद करते हुये उक्त पकड़े गये व्यक्ति के विरूद्ध जीआरपी इटारसी द्वारा अपराध क्रंमाक 12/2013 धारा 41(1–4) 102 सीआरपीसी एवं 379 आईपीसी के तहत दर्ज किया गया।

04.भोपाल स्टेशन पर यात्री सामान की चोरी की घटनाओं की रोकथाम हेतु वीरेन्द्र सिंह उप निरीक्षक रेसुब भोपाल रिजर्व के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई जिसमें जी.एस.बेनीवाल प्र.आ. भोपाल रिजर्व, डेबिडदीन प्र.आ. रेसुब भोपाल एवं परीक्षित रघुवंशी आरक्षक रेसुब हबीबगंज को तैनात किया गया। दिनांक 19.05.2013 को भोपाल स्टेशन, प्लेटफार्म न.–4 पर दो आरोपियों को यात्री सामान चोरी करते हुए पकड़ा गया है पकड़े गये आरोपियों ने जीआरीप/भोपाल को पूंछतांछ के दौरान बताया कि वे स्टेशन पर सो रहे यात्रियों की जेबकतरी एवं मोबाइल आदि की चोरी किया करते हैं। उक्त आरोपियों की धरपकड़ के दौरान आरोपियों द्वारा भाग निकलने के लिए विरोध/संघर्ष किया गया और इसी दौरान एक आरोपी शाहरुख निवासी फूटा मकबरा मौके का फायदा उठाकर भाग निकला। जीआरपी/भोपाल द्वारा मामलें में विवेचना की जा रही है।

05.भोपाल स्टेशन पर गठित उक्त टीम द्वारा दिनांक 20.05.2013 को भोपाल स्टेशन के प्लेटफार्म न. 04 एक आरोपी मनोज को यात्री सामान चोरी में संदिग्ध पाये जाने पर पकड़ा गया। पूंछतांछ के दौरान उक्त आरोपी द्वारा बताया गया कि भोपाल स्टेशन वेटिंग/हाल प्लेटफार्म न. 1 पर सो रहे एक यात्री का यात्री शशि यादव उम्र–18 साल निवासी ग्राम रजाखेड़ी का मोबाइल/नगदी की चोरी उसके द्वारा की गई है। जीआरपी/भोपाल द्वारा उक्त आरोपी से पूंछतांछ एवं कार्यवाही जारी है।

06.दिनांक 29.05.13 को रेलवे स्टेशन सूखीसेवनिया प्लेटफार्म पर एक बालक को संदिग्ध हालत में घूमते पाये जाने की सूचना पर ए.एस.एम. श्री लीलाधर गौर द्वारा रेसुबल थाना भोपाल को दी गई। उक्त सूचना पर

Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.
Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features

अपना नाम रोहित पुत्र बाबूलाल उम्र 08 वर्ष निवासी ग्राम ... को स्वस्थ हालत में चाईल्ड केयर भोपाल के श्री मदन कुमार ... गया।

07.दिनाँक 07.05.2013 को डिप्टी पन्च्यूलिटी कोटा ने मं0सु0नि0क0 कोटा को सूचना दिया कि गाडी संख्या–54812 के कोच की छत पर एक व्यक्ति सो रहा है। सूचना पर सहा0 उप निरी0 सवाईमाधोपुर श्री विषन लाल शर्मा ने तुरन्त स्टेशन अधीक्षक/सवाईमाधोपुर से सम्पर्क कर ओ0एच0ई0 लाईन को बन्द करवाया तथा गाडी पर पहुंचकर स्टाफ की मदद से कोच नम्बर NWR-05408 की छत पर गहरी नींद सो रहे व्यक्ति को कोच से उतरा गया। बाद जिसके विरूद्ध रे0सु0ब0 पोस्ट सवाईमाधोपुर द्वारा अपराध क्रमाँक–334/2013 धारा 156 रेल अधिनियम किया गया। आरोपी सुरेश पुत्र गंगाराम को आज दिनाँक 08.05.2013 को रेल्वे कोर्ट कोटा में पेश किया गया। न्यायालय द्वारा आरोपी को 100/–रूपये के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया।

08.दिनाँक 07.05.2013 को गाडी संख्या–19024 की अनुरक्षण ड्यूटी हेतु प्र0आर0 मोती लाल मीना, प्र0आ0 मोहन सिंह एवं आरक्षक राजवीर सिंह को भरतपुर से कोटा तक लगाया गया था। गाडी के भरतपुर से रवाना होने पर अनुरक्षण पार्टी द्वारा गाडी के चैकिंग के दौरान कोच नम्बर एस/8 की शौचालय के पास एक वीआईपी सूटकेश खुला हुआ मिला। वर्णित सूटकेश के बारे में यात्रियों से पूछताछ करने पर किसी यात्री ने अपना नही होना बताने पर चल टिकिट परीक्षक श्री बाबू लाल मुख्यालय/गंगापुर सिटी की उपस्थित में चैक किया जिसमें कपड़े आदि मिले जिसकी सूची बनाकर रेसुब./हिण्डौसिटी द्वारा स्टेशन अधीक्षक के पास एल0पी0ओ0 में लॉट नं0–36 के तहत जमा कराया गया।

09.दिनाँक 17.05.2013 को एक लावारिस बैग की सूचना पर उप निरीक्षक पवन कुमार शर्मा कोटा पोस्ट, प्र0आ0 बी.के. तिवारी व पार्सल बाबू नरेन्द्र सिंह ने प्लेटफार्म नं0 3 पर पूल के नीचे पहुँचे जहां एक बड़ा ट्राली बैग रखा हुआ था। जिस बाबत आस–पास यात्रियों से पूछने पर किसी ने भी उसका मालिक होना नही बताया बाद उपरोक्त ने उक्त बैग को पार्सल कार्यालय में ले जाकर श्री पी. के. सक्सेना सी.पी.एस. के समक्ष खोला गया जिसमें पहनने के कपड़े थे। उक्त बैग को एल0पी0ओ0 कोटा लॉट नं0–107/01 दिनांक 17.05.2013 के तहत जमा कराया गया।

10.दिनाँक 21.05.2013 को लॉकमैन मंजूर अहमद ने कोटा स्टेशन पर गाडी संख्या–59814 के लॉक बंद करते समय दो बैग व एक अटैची दिखाई देने पर रेसुब सउनि घासीराम वर्मा को बताया जिस पर सउनि द्वारा एलाउन्स करावाया गया, किसी भी यात्री के नही आने पर पार्सल ऑफिस कोटा लेजाकर पार्सल बाबू के समक्ष खोलकर सामान की सूची बनाई गई जिसमें नगद 94,770/–एवं कुछ कपड़े व पुराने गहने एल0पी0ओ0 कोटा लॉट नं.–109/03 के तहत जमा कराया गया।

11.दिनांक 23.05.2013 को न्यायालय सम्पदा अधिकारी, पमरे/जबलपुर के आदेशानुसार, गाडरवारा रेलवे स्टेशन पर डाउन साइड पर स्थित रेवले कैन्टीन जिसके द्वारा नरेंद्र कुमार जायसवाल द्वारा गाडरवारा रेलवे स्टेशन पर अनाधिकृत कब्जा किया गया था को स्टेशन प्रबंधक, गाडरवारा, वरि.खण्ड अभियंता(रेलपथ)गाडरवारा, वरि.खण्ड अभियंता(कार्य) पिपरिया, तहसीलदार गाडरवारा, सिविल पुलिस/जीआरपी की उपस्थित में रेलवे सुरक्षा बल/जबलपुर द्वारा हटवाया गया है।

12.इस माह में रेलवे सुरक्षा बल द्वारा अभियान चलाकर धूम्रपान करते हुए पाये जाने पर 457 व्यक्तियों के विरुद्ध तम्बाकु अधिनियम (Prohibition of advertisement and regulation of trade, production, supply and distribution Act, 2003) के तहत कार्यवाही करते हुए उनसे 91,400/–रू. का जुर्माना वसूल किया गया।